

भारत के राजपत्र  
भाग -दो, खण्ड -3, उप खण्ड -(I)में प्रकाशनार्थ  
भारत सरकार

अधिसूचना

नई दिल्ली, जून, 2019

सा.का.नि. .... केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह 'ग' (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती नियम 2010 में संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती संशोधन नियम 2019 कहा जाएगा  
(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
2. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, ट्रेड्समैन) संवर्ग भर्ती नियम, 2010 में :-

क) नियम 4 में वर्णित “ वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान” शब्द के

दोनों स्थानों पर “ वेतन मेट्रिक्स में स्तर” शब्द को रखा जाएगा;

ख) नियम 5 में अंक '(14)' के स्थान पर '(13)' रखा जाएगा।

(ग) अनुसूची में :-

(i) सिपाही (सामान्य ड्यूटी संवर्ग) पद से संबंधित, क्रम संख्या (1) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

“ वेतन मेट्रिक में स्तर”
(4)
“ स्तर-3 (21700 से 69100/-रूपये )”;

(ii) हवलदार पद से संबंधित, क्रम संख्या (2) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत की प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/- रूपये )”

(बी) स्तंभ संख्या (11) के नोट 2 में :-

- (i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।
- (ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।
- (iii) सिपाही (आरमोरर) (तकनीकी संवर्ग) पद से संबंधित, क्रम संख्या (3) के सामने :-  
(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-  
“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;
- (iv) सिपाही (फिटर) पद से संबंधित, क्रम संख्या (4) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”

- (v) सिपाही (चालक) पद से संबंधित, क्रम संख्या (5) के सामने:-

(ए) क्रम संख्या (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”;

- (vi) हवलदार (आरमोरर) पद से संबंधित, क्रम संख्या (6) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/- रूपये )” ;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में:-

- (i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए , “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।
- (ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए, “ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।
- (vii) हवलदार (फिटर) पद से संबंधित, क्रम संख्या (7) के सामने:-  
(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए , निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/-रूपये )”;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में:-

- (i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि का रखा जाएगा।
- (ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए “ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(viii) हवलदार (चालक) पद से संबंधित, क्रम संख्या (8) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत की प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 (25500 से 81100/- रूपये )”;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में:-

- (i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए, “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।
- (ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए, “ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ix) सिपाही (बढ़ई) (ट्रेड्समेन संवर्ग) पद से संबंधित क्रम संख्या (9) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;

(x) सिपाही (मोची) पद से संबंधित, क्रम संख्या (10) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;

(xi) सिपाही (दर्जी) पद से संबंधित, क्रम संख्या (11) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;

(xii) सिपाही (ब्रास बैंड) पद से संबंधित, क्रम संख्या (12) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;

(xiii) सिपाही (पाइप बैंड) पद से संबंधित, क्रम संख्या (13) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;

(xiv) सिपाही (माली) पद से संबंधित, क्रम संख्या (14) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए , निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/- रूपये )”;

(xv) सिपाही (बिगुलर) पद से संबंधित, क्रम संख्या(15 ) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए , निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”;

(xvi) सिपाही (पेंटर) पद से संबंधित, क्रम संख्या (16) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”

(xvii) हवलदार (बढ़ई) पद से संबंधित, क्रम संख्या (17) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए , निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/-रूपये )”;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में :-

(i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टियों के लिए, “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टियों का रखा जाएगा।

(ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टियों के लिए , “7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टियों को रखा जाएगा।

(xviii) हवलदार (मोची) से संबंधित, क्रम संख्या (18) के सामने :-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/-रूपये )”;

(बी) कॉलम संख्या (11) के नोट 2 में :-

(i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए , “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए, “ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(xix) हवलदार (दर्जी) पद से संबंधित, क्रम संख्या (19) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/-रूपये )”;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में :-

(i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए, “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए, “7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(xx) हवलदार (ब्रास बैंड) से संबंधित, क्रम संख्या (20) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/-रूपये )”;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में :-

(i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए, “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए, “ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(xxi) हवलदार (पाईप बैंड) पद से संबंधित, क्रम संख्या (21) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 4 ( 25500 से 81100/-रूपये )”;

(बी) स्तंभ (11) के नोट 2 में :-

(i) “ 1 जनवरी, 2006” की प्रविष्टि के लिए, “ 1 जनवरी 2016” की प्रविष्टि को रखा जाएगा।

(ii) “ छठे वेतन आयोग” की प्रविष्टि के लिए, “ 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग” की प्रविष्टि से को रखा जाएगा।

(xxii) सिपाही (रसोईया) पद से संबंधित, क्रम संख्या (22) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों का रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”

(xxiii) सिपाही (नाई/हेयर ड्रेसर) पद से संबंधित, क्रम संख्या (23) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात :-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”

(xxiv) सिपाही (धोबी/धोबिन) पद से संबंधित, क्रम संख्या (24) के सामने:-

(ए) कॉलम (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ स्तर – 3 ( रू 21700 से 69100/-रूपये )”

(xxv) सिपाही (जलवाहक) पद से संबंधित, क्रम संख्या (25) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”

(xxvi) सिपाही (सफाई कर्मचारी) पद से संबंधित, क्रम संख्या (26) के सामने:-

(ए) स्तंभ (4) के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“ स्तर – 3 ( 21700 से 69100/-रूपये )”;

(सी) उपरोक्त भर्ती नियम में, क्रमांक 1 से 26 तक जो कि (सामान्य ड्यूटी संवर्ग)-सिपाही, हवलदार,(तकनीकी संवर्ग)-सिपाही(आरमोरर), सिपाही (फिटर), सिपाही(ड्राईवर), हवलदार (आरमोरर), हवलदार (फिटर), हवलदार (चालक), ट्रेड्समेन(संवर्ग)- सिपाही (कारपेंटर), सिपाही (मोची), सिपाही (टेलर), सिपाही (ब्रास बैंड), सिपाही (पाईप बैंड), सिपाही (माली), सिपाही (बिगुलर), सिपाही (पेंटर), हवलदार (कारपेंटर), हवलदार (मोची), हवलदार (टेलर), हवलदार (ब्रास बैंड), हवलदार (पाईप बैंड), सिपाही (रसोईया), सिपाही (नाई/हेयर ड्रेसर), सिपाही (धोबी/धोबिन), सिपाही (जलवाहक), सिपाही (सफाई कर्मचारी) के पद से संबंधित है, के सामने स्तंभ संख्या (6) का लोप किया जाएगा।

(एफ सं0 एम.पांच-1/2018-स्था.-7वां सीपीसी)

(ललित कपूर)  
उप सचिव (कार्मिक-II)

**टिप्पण :-** भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में तारीख 22 जुलाई, 2010 के अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 614 (ई), के द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात तारीख 29/04/11 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(ई) के द्वारा संशोधित किया गया।